संख्या-55/2026//001-635-23-12-2026-1973908

प्रेषक

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ दिनांक 29 मई, 2026**

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 में रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत सड़क सुरक्षा/ब्लैक स्पॉट, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा इत्यादि हेतु विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 20 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-21549/CE-HQ1/RS/GON/2026-27, दिनांक 15-05-2026, पत्र संख्या-21618/CE-HQ1/RS/BAR/2026-27, दिनांक 18-05-2026,पत्र संख्या-21631/CE-HQ1/ RS/AGR/2026-27, दिनांक 18-05-2026 तथा पत्र संख्या-21632/CE-HQ1/RS/BAN/2026-27, दिनांक 18-05-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत सड़क सुरक्षा/ब्लैक स्पॉट, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा इत्यादि हेतु विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित 20 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 343.27 लाख (रूपये तीन करोड़ तैंतालिस लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	**खण्ड/ जनपद का नाम**	**कार्य का नाम /मार्ग का कोड**	**मूल स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक**	**स्वीकृत मूल लागत/ प्रावैधिक स्वीकृत लागत**	**अब तक आवंटन**	**प्रस्तावित आवंटन**
1	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	नि.ख.-2 गोण्डा	जनपदगोण्डा में नि0खं0.2 के अन्तर्गत गोण्डा बेलस उमरीबेगमगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 03 चौराहे चै0 15.60, 24.400, 29.800) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 185388	97/2024/001-1256-23-12-2024-23-12099-099-105-2024-दिनांक-30-12-2024	47.53	23.76	**23.33**
2	नि.ख.-2 गोण्डा	बहराइचहुजूरपुर करनैलगंज नवाबगंज मार्ग (राज्यमार्ग सं0 155) के चैनेज 49.400 पर स्थितकरनैलगंज चौराहे के चौड़ीकरण एवं रोड सेफ्टी का कार्य। 208558	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	22.62	11.31	**11.02**
3	नि.ख.-2 गोण्डा	जनपदगोण्डा में नि0खं0-2 के अन्तर्गत बहराईच हुजूरपुर करनैलगंज नवाबगंज मार्ग (राज्यमार्ग)पर पड़ने वाले 02 चौराहे (चै0 68.400, 76.350) एवं 02 टी-जंक्शन (चै0 47.850, 80.600) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 208559		43.82	21.91	**21.56**
4	नि.ख.-2 गोण्डा	तरबगंजनाका कटहा डेहरास मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 4.200 पर टी जंक्शन, चैनेज 12.600 पर टी जंक्शन एवं चैनेज 15.400 पर टी जंक्शन एवं चैनेज 19.300 पर टी जंक्शन केचौड़ीकरण एवं रोड सेफ्टी का कार्य। 208560		20.34	10.17	**9.90**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	नि.ख.-2 गोण्डा	बहराइचहुजूरपुर करनैलगंज नवाबगंज मार्ग (राज्यमार्ग सं0 155) के चैनेज 64.600 पर स्थितपरसपुर टी जंक्शन के चौड़ीकरण एवं रोड सेफ्टी का कार्य। 208562		10.96	5.48	**5.22**
6	नि.ख.-2 गोण्डा	सरयूस्टेशन चचरी माझा भौरीगंज परसपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 13.200 पर टीजंक्शन, चैनेज 14.600 पर टी जंक्शन एवं चैनेज 23.400 पर टी जंक्शन के चौड़ीकरणएवं रोड सेफ्टी का कार्य। 208563		39.68	19.84	**19.50**
7	नि.ख. बदायूं	मुरादाबाद-फर्रुखाबाद (राज्य मार्ग-43) पर मदनजुड़ी हत्सा पुलियाब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य। 234089	133/2025/001-1133-23-12-2025-1973908, दि0-28.10.2025-दिनांक-28-10-2025	58.26	11.13	**20.00**
8	नि.ख. बदायूं	मुरादाबाद-फर्रुखाबाद (राज्य मार्ग-43) पर मुडिया धुरेकीब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य। 234090		13.73	6.86	**3.00**
9	नि.ख. बदायूं	मेरठबदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग-18) पर कोल्हाई ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य। 234091		9.15	4.57	**2.00**
10	नि.ख. बदायूं	मुरादाबाद-फर्रुखाबाद (राज्य मार्ग-43) पर रेहड़िया चौकीब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य। 234093		13.68	6.84	**2.50**
11	नि.ख. बदायूं	मेरठबदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग-18) पर नगला चोईब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य। 234094		11.28	5.64	**2.50**
12	नि.ख. बदायूं	मुजरियाचौराहे पर स्व0 श्री कल्याण सिंह बाबूजी चौक का निर्माण कार्य तथा सड़क सुरक्षासम्बन्धी कार्य। 234095		293.49	76.74	**100.00**
13	प्रा.ख. बदायूं	जनपदबदायूँ में वर्ष 2024 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट ढिलवारी पुलिया का सुधारात्मककार्य 234096		19.91	9.95	**8.87**
14	नि.ख.-1 पीलीभीत	बीसलपुरबण्डा खुटार गोला राज्य मार्ग के किमी0 05 में कैचुआ पुलिया (ब्लैक स्पॉट) कासुधार कार्य। 208618	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	103.93	50.70	**30.00**
15	प्रा.ख. मथुरा	जनपदमथुरा में रा0मा0.2 से अरहेरा-बाजना-बाटी मार्ग (अ0जि0मा0) पर क्रेश बैरियर काकार्य। 210065	62 /2025//001-340-23-12-2025-1865682-दिनांक-27-03-2025	270.00	185.39	**23.85**
16	नि.ख.-2 आगरा	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद आगरा में चन्दौसी-आगरा-तॉतपुर-कोटमार्ग (राज्य मार्ग सं0-39) के किमी0 203.400 से 210.400 तक सेन्ट्र वर्ज कापुनः निर्माण एवं मार्ग सुरक्षात्मक कार्य। 210057		190.47	60.04	**20.00**
17	प्रा.ख. बांदा	खेत सिंह खिंगार चैराहे पर चैड़ीकरण हेतु स्लिप रोड रोटरी निर्माण एवं रोड सेफ्टी का कार्य। 205042	33/2025/001-1310-23-12-2024-23-12099-099-114-2024-दिनांक-31-01-2025	282.93	268.32	**14.13**
18	प्रा.ख. बांदा	बांदा नरैनी मार्ग एवं बांदा बाईपास मार्ग के तिराहे चैड़ीकरण हेतु स्लिप रोड रोटरी निर्माण एवं रोड सेफ्टी का कार्य। 205043		145.72	138.33	**7.29**
19	प्रा.ख. बांदा	बांदा बाईपास के महोखर चैराहे पर चैड़ीकरण हेतु स्लिप रोड रोटरी निर्माण एवं रोड सेफ्टी का कार्य। 205044		282.51	268.23	**14.12**
20	नि.ख.-1 चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में खोह मानिकपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 17 से 19 के मध्य स्थित ब्लैक स्पाट काली पहाड़ी के सुधार हेतु चैनेज 17, 17.9 एवं 18.1 पर सेफ		96.11	85.13	**4.48**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		साइट डिस्टेंस बढ़ाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य। 205028				
					योग	**343.27**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वितीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की समस्त शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आनलाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/ 2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनु0-2 के कार्यालय ज्ञाप स0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

7- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

9- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु०-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

10- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

11- उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12- प्रश्नगत आवंटन में से अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 3,43,27,000 (रूपये तीन करोड़ तैंतालिस लाख सत्ताईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव

पृ0संख्या-55/2026//001-635(1)-23-12-2026-1973908 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शेषनाथ)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।